उत्तर प्रदेश शासन
गृह (गोपन) अनुभाग-3
संख्याः1/776727/2024 -सी0एक्स0-3
लखनऊः दिनॉक 22 अक्टूबर , 2024

अधिसूचना

चूँकि नीचे अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा पाईपलाईन परियोजना जे. एच. बी. डी.पी. एल के अधीन वाराणसी से गोरखपुर तक बिछायी गयी पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू उपयोग, उर्वरक संयंत्रों और अन्य कम्पनियों को गैस की पूर्ति के लिये किया जाता है;

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा ;

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनाँक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा 3 की उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285 दिनाँक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है;

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-1285, दिनाँक 04 मई, 1963 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक **"प्रतिषिद्ध स्थान"** घोषित करते हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध संस्थान का नाम और विनिर्देश	
गेल इण्डिया लिमिटेड इण्टरमीडिएट पम्पिगं स्टेशन-1जी(आई पी-1जी) के खसरा संख्या 295K&295, खाता संख्या 00160 (गाटा यूनिक संख्या 194155-0295-2-001-12&194155-0295-2-002-12) पर हलदिया पाईपलाईन सप्लाई गैस, सी0एन0जी0 स्टेशन फर्टिलाईजर प्लान्ट और हाउसहोल्ड के अन्तर्गत जे. एच. बी. डी.पी. एल प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट (जे. एच. बी. डी.पी. एल) इण्टरमीडिएट पम्पिगं स्टेशन-1जी(आई पी-1जी) ग्राम-भितरी, परगना व तहसील-निजामाबाद, जिला - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	
पूर्व में-	खाली भूमि खेत शेष रकबा
पश्चिम में-	पक्की सड़क
उत्तर में-	आराजी सं0-204,207
दक्षिण में-	पक्की सड़क

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)
सचिव।
Signed by
Rajesh Kumar
Date: 22-10-2024 13:40:39